

LOHARDAGA NAGAR PARISHAD

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No : 547264180720105615
Date : 18-07-2020
प्रभावी : 1 2020-2021

श्री/श्रीमती/सुश्री VAJIR AHMAD S/O LATE FAJIRUDDIN ANSARI,
मोहल्ला RAHMAT NAGAR LOHARDAGA LOHARDAGA , 7667154779
LOHARDAGA, 835302

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं - 0070000296000A1 वार्ड सं 7 हुआ है, आपके स्व-निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 49392/- रूप निरधारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		Amount (In Rs.)
क्रम सं०	Particulars	
1	गृह कर	247.00
2	जल कर	0.00
3	शौचालय कर	0.00
4	बिजली कर	0.00
5	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		247.00



To be signed by the Applicant

नोट:-

- 1 कर निर्धारण की सूची, LOHARDAGA NAGAR PARISHAD Website, suda.jharkhand.gov.in पर प्रदर्शित है।
- 2 नियमावली कंडिका 11.4 के आलोक में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा।
- 3 हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पाये।
- 4 प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
- 5 यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण घृति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
- 6 किसी देय घृति को निर्दिष्ट समयावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
- 7 यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है इस स्व-निर्धारण -साह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच यथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य गलत पाए जाने पर नियमावली कंडिका 13.2 के अनुसार निर्धारित शक्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
- 8 LOHARDAGA NAGAR PARISHAD द्वारा संग्रहित इस सम्पत्ति कर इन इमारतों/ढांचों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों / देखलकार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
- 8 अगर आपके नये होल्लिंग नंओ का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.